संख्या 344/18-5-2003-76-(एस.पी.)/86

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक 10 मार्च, 2003

विषय :- केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा अनुबन्ध के अधीन मामलों में संबंधित क्रेता विभागों को स्वयमेव क्रय व्यवस्था की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2177एल/18-7-94-15 (एस.पी.)/92, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 एवं शासनादेश संख्या-708/18-5-98-15 (एस.पी.)/92, दिनांक 8 जनवरी, 1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की विकेन्द्रीकरण नीति के तहत मात्रा अनुबन्ध के अधीन मामलों में क्रेता विभागों को स्वयमेव क्रय व्यवस्था की अनुमति प्रदान करते हुए क्रय समिति का गठन करते हुये संगत नियमों के तहत कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों को क्रयाधिकार की सीमा निर्धारित की गयी थी। शासन स्तर पर यह अनुभव किया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 के निर्गत होने के पश्चातवर्ती अवधि में महंगाई एवं शासकीय सामग्री के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हो गयी है। अतः लोक हित एवं शासकीय कार्यहित में कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों को प्रदत्त क्रयाधिकार की सीमा में वृद्धि करने का निर्णय लेते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 में उल्लिखित नियम-8 (अ) में एतद्द्वारा निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

वर्तमान नियम	एतद्द्वारा संशोधित नियम
8-अ. "सामान्य स्थिति वाले मामलों में मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष एक बार में रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) मूल्य की सीमा तक सामग्री (विदेशी तथा स्वदेशी निर्मित दोनों प्रकार की वस्तुओं को) क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष उपर्युक्त स्थिति में एक समय में रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) मूल्य की सीमा तक की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। रु. 20,000/- से अधिक और रु. 1,00,000/- की सीमा तक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु कार्यालयाध्यक्ष अपने विभागाध्यक्ष की अनुमति तथा रु. 1,00,000/- से अधिक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु विभागाध्यक्ष को शासन	8-अ. "सामान्य स्थिति वाले मामलों में मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष एक बार में रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) मूल्य की सीमा तक सामग्री (विदेशी तथा स्वदेशी निर्मित दोनों प्रकार की वस्तुओं को) क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष उपर्युक्त स्थिति में एक समय में रु. 10,00,000/- (रु. दस लाख मात्र) मूल्य की सीमा तक की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। रु. 1,00,000/- से अधिक और रु. 10,00,000/- की सीमा तक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु कार्यालयाध्यक्ष अपने विभागाध्यक्ष की अनुमति तथा रु. 10,00,000/- से अधिक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु विभागाध्यक्ष को

के प्रशासनिक विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार के क्रय की स्वीकृति आदेश जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत क्रय हेतु पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है तथा क्रय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्राप्त कर ली गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जायगा और उसमें यह स्पष्ट अंकित किया जाना होगा कि प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार है और संबंधित वस्तु उद्योग निदेशालय द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं आती है। इन स्वीकृति आदेशों की प्रतियाँ उद्योग विभाग, वित्त विभाग तथा उद्योग निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग) उ.प्र. कानपुर को सदैव भेजी जानी चाहिए।	शासन के प्रशासकीय विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार के क्रय की स्वीकृति आदेश जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत क्रय हेतु पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है तथा क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्राप्त कर ली गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा और उसमें यह स्पष्ट अंकित किया जाएगा कि प्रश्नगत क्रय सामगी क्रय नियमों के अनुसार है और संबंधित वस्तु उद्योग निदेशालय द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं आती है। इन स्वीकृति आदेशों की प्रतियाँ उद्योग विभाग, वित्त विभाग तथा उद्योग निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग) उ.प्र. कानपुर को सदैव भेजी जानी चाहिए।

2. शासनादेश संख्या-2177एल/18-7-94-15 (एस.पी.)/92, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 की अन्य शर्तें/प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। कृपया उक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 को संशोधित समझा जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-एफ-ए-1-146/बस-2003 दिनांक 7 मार्च, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह,
सचिव